खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद।

पत्रांक – 1994 / न० नि०

सेवा में,

श्री मेसर्स गणपति इन्फ्राटेक 1. श्री अरविन्द कुमार गुप्ता पिता-स्व० प्रेमचन्द गुप्ता 2. श्री भेश ए० ठक्कर

पिता / पति – स्व० अमृतलाल डी० ठक्कर 3. श्री आशीष भानु सिंह पिता – स्व० फणिनाथ सिंह,

पता – शास्त्रीनगर, धनबाद।

धनबाद, दिनांक 20/11/13

विषयः– आवासीय / व्यवसायिक / औद्योगिक / संस्थागत भवन निर्माण हेतु गृह प्लान केश न० बी० डी० – 387/13-14 संबंधी आपके आवेदन दिनांक 5.9.13 के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन, दलील संख्या – 2781, 6714 दाखिल खारिज अभिलेख संख्या 3901/11/13-14, 2330/11/12-13 जमाबंदी संख्या 5103, 5062 से निर्गत लगान रसीद वर्ष 13-14 की अभिप्रमाणित प्रति, शपथ पत्र एवं Indemnity Bond एवं तकनीकी सदस्य द्वारा किए गए अनुशांसा के आलोक में आपके द्वारा प्रस्तुत आवासीय / व्यवसायिक / औद्योगिक / संस्थागत भवन संबंधी बी० डी० केश न० 387/13-14 के नक्शे की स्वीकृति प्रबंध निदेषक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद द्वारा प्रदान की गई है।

निदेषानुसार सूचित करना है कि हीरापुर-07 मौजा अन्तर्गत खाता न० 112 प्लॉट न० 385 रकबा 21.05 डि० भूमि पर स्वीकृत नक्शे के अनुसार लाईसेंसी अभियन्ता श्री पियूषकान्ति सिंह की देख रेख में कार्यारम्भ के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी को कार्यारम्भ की जानकारी उपलब्ध करायेंगे।

स्वीकृत नक्शे के अनुसार अधिकतम 2 वर्षों में कार्य पूर्ण कर अधिनियम के तहत निर्माण पूरा होने की लिखित जानकारी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

प्रबंध निदेशक के लिखित पूर्वानुमति के बगैर किये गये किसी भी विचलन निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकेगा, बल्कि उसे तोड़ना ही एकमात्र विकल्प होगा।

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के संबंधित पदाधिकारी से निर्माण कार्य का निरीक्षण समय समय पर कराना सुनिश्चित करेंगे।

आप स्वीकृत नक्शे में दर्शाये नाली से हटकर अन्य नाली का निर्माण नहीं करेंगे।

माडा भवन विनिमय के दायरे में आवासीय / व्यवसायिक / औद्योगिक / संस्थागत भवन निर्माण हेतु स्वीकृत नक्शा, स्वत्व, अधिकार एवं दखल का प्रमाण नहीं है।

जिस प्रयोजन के लिये भवन निर्माण का नक्शा स्वीकृत किया गया है निर्मित भवन का व्यवहार उसी प्रयोजन के लिये किया जा सकेगा।

जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबंध के लिये आप स्वंय जिम्मेवार रहेंगे तथा स्वीकृत आदेश राज्य सरकार / नेश्नल बिल्डिंग कोड के अद्यतन आदेशों, निर्देशों एवं प्रावधानों से स्वतः प्रभावित होगा।

आवेदक द्वारा उपकर के मद में 25/- कुल रू० 72,500/- जमा किया गया है। शेष राशि आवेदक द्वारा सहायक श्रमायुक्त धनबाद के कार्यालय में जमा करना स्वयं सुनिश्चित करेंगे।

20-11-13

नगर निवेशक / तकनीकी सदस्य
खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार
धनबाद।

20/11/13